राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 90/2023

निर्णय दिनांक : 30.12.2024

सत्यनारायण बनाम बनारसी वगै0

1. सत्यनारायण उम्र 72 वर्ष
2. रामचन्द्र उम्र 67 वर्ष
3. मोतीलाल उम्र 50 वर्ष
4. फतेहसिंह उम्र 54 वर्ष
5. उदय सिंह उम्र 62 वर्ष

पुत्रगण श्री रामकुमार, जाति जोगी, निवासीगण खाजपुर का बास, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

6. प्रताप पुत्र श्री मेहरचंद, उम्र 58 वर्ष जाति जोगी, निवासी खाजपुर का बास, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

7. केशर पुत्र श्री मेहरचंद, उम्र 48 वर्ष जाति जोगी, निवासी खाजपुर का बास, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

वादीगण

बनाम

1. बनारसी देवी पुत्री रामकुवार, उम्र 73 वर्ष जाति जोगी, निवासी ग्राम खाजपुर हाल निवासी गुंगारा, जिला सीकर (राज.)
2. पवन कुमार पुत्र शुभा देवीं, उम्र 35 वर्ष जाति जोगी, निवासी ग्राम हमीरी कलां, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू (राज.)
3. जोरी लाल पुत्र शुभा देवी, उम्र 42 वर्ष जाति जोगी, निवासी ग्राम हमीरी कलां, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू (राज.)
4. पंजाब नेशनल बैंक झुन्झुनू, शाखा झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.) जरिए शाखा प्रबंधक
5. ईलाहाबाद बैंक शाखा झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.) जरिए शाखा प्रबंधक
6. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बॉम्बे कॉम्पलेक्स झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.) जरिए शाखा प्रबंधक
7. भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व विभाजन

अ.धा. 53 व 188 आर.टी. एक्ट 1955

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनूं (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न आशय का पेश किया गया :—

ग्राम खाजपुर हाल राजस्व ग्राम खाजपुर का बास, तहसील व जिला झुन्झुनू में एक दयालनाथ पुत्र ऊमनाथ जाति जोगी नामक व्यक्ति पैदा हुआ था। दयालनाथ के दो पुत्र संतान क्रमशः रामकुमार व मेहरचंद पैदा हुए थे। रामकुमार पुत्र दयालनाथ के वादीगण 1 लगायत 5 पुत्र व प्रतिवादिया नं. 1 पुत्री संतान व प्रतिवादी नं. 2 व 3 मृतक पुत्री शुभा देवी के वारिसान है। मेहरचंद पुत्र दयालनाथ के वादीगण 6 व 7 पुत्र संतान है। ग्राम खाजपुर हाल राजस्व ग्राम खाजपुर का बास में दयालनाथ पुत्र ऊमनाथ के खातेदारी काश्तकारी की भूमि गत खसरा नं. 99/1 रकबा 95 बीघा 19 बिश्वा, गत खसरा नं. 105 रकबा 33 विघा 11 विश्वा, गत खसरा नं. 71/2 रकबा 8 बीघा, गत खसरा नं. 72/1 रकबा 8 बीघा 11 विश्वा, गत खसरा नं. 112 रकबा 9 बिश्वा, गत खसरा नं. 113 रकबा 10 विश्वा, गत खसरा नं. 114 रकबा 1 बीघा कुल खसरे 7 कुल रकबा 148 बीघा स्थित रही है। वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि गत खसरा नं. 99/1 रकबा 95 बीघा 19 बिश्वा के गत बट्टा खसरा नं. 99/1/1 रकबा 64 बीघा 15 बिश्वा व 99/1/2 रकबा 31 बीघा 4 बिश्वा कुल रकबा 95 बीघा प्रथम पैमाईश में कायम हुये। वाद पत्र की संख्या 3 में वर्णित भूमि गत बट्टा खसरा नं. 99/1/1 रकबा 64 बीघा 15 बिश्वा व गत खसरा नं. 71/2 रकबा 8 बीघा कुल खसरे 2 कुल रकबा 72 बीघा 15 बिश्वा मेहरचंद के हिस्से में रही जो मेहरचन्द के देहान्त के बाद जरिए नामांतकरण संख्या 20 दिनांक 12.02.1992 से मेहरचंद के उत्तराधिकारी वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई।

वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित भूमि गत बट्टा खसरा नं. 99/1/2 व खसरा नम्बर 106 कुल खसरा 2 कुल रकबा 64 बीघा 15 विश्वा, गत खसरा नं. 72/1 रकबा 8 बीघा 11 बिश्वा, गत खसरा नं. 112 रकबा 9 विश्वा, गत खसरा नं. 113 रकबा 10 विश्वा, गत खसरा नं. 114 रकबा 1 बीघा गत खसरा नम्बर 104 रकबा 3 बीघा 10 विश्वा कुल खसरे 6 कुल रकबा 78 बीघा 15 विश्वा भूमि रामकुमार के हिस्से में रही है जो रामकुमार के देहान्त के बाद जरिए नामांतकरण संख्या 57 दिनांक 3 जनवरी 1997 को रामकुमार के उत्तराधिकारी वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए। दयालनाथ पुत्र ऊमनाथ के दोनों पुत्र रामकुमार व मेहरचंद द्वारा द्वितीय सैटलमेंट सम्वत 2058—2079 सन् 2001—2002 से पूर्व वाद पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित भूमि आपस में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस आपसी सहुलियत से बाहमी विभाजन कर लिया था तथा बाहमी विभाजन के मुताबिक ही वाद पत्र की मद सं. 4 व 5 में दर्ज अनुसार रामकुमार व मेहरचंद के वारिसान मुताबिक वाहमी विभाजन वाद पत्र में वर्णित भूमि पर काबिज काश्त हुए।

दौराने द्वितीय सैटलमेंट सम्वत 2058 2079 सन् 2001 2002 में सैटलमेंट विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर का सैटलमेंट के दौरान मिलान क्षेत्रफल तैयार किया गया था जो निम्न है

गत खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
(99/1/2 व 105)	61 बीघा 15 बिश्वा	47	8.34 हेक्टर
(99/1/1 व 105)	61 बीघा 15 बिश्वा	49	85 हैक्टर
(99/1/1 व 105)	61 बीघा 15 बिश्वा	51	1.90 हैक्टर
(99/1/1 व 105)	61 बींघा 15 बिश्वा	52	3.50 हैक्टर
(99/1/1 व 105)	61 बीघा 15 बिश्वा	63	6.60 हैक्टर
72/1	8 बीघा 11 बिश्वा	202	2.16 हैक्टर
(99/1/2 व 105)	61 बीघा 15 बिश्वा	47/276	0.01 हैक्टर
112,113	19 बिश्वा	49/273	0.23 हैक्टर
114	1 बीघा	63/274	0.25 हैक्टर
71/2	8 बीघा 1 बिश्वा	152	0.84 हेक्टर
71/2	8 बीघा 1 बिश्वा	204/262	0.06 हेक्टर
72/2	8 बीघा 1 विश्वा	205	1.14 हेक्टर

अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

सैटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने रामकुमार व मेहरचंद के हक हिस्से में दर्ज अलग अलग राजस्व रिकार्ड के रामकुमार के गत खसरा नं 105 को मेहरचन्द के गत खसरा नम्बर 99/1/1 को आपस में मिलाकर गलत मिलान क्षेत्रफल कायम किया गया। सैटलमेंट विभाग द्वारा मुताबिक गत खसरा नम्बर का खातेदार रामकुमार व मेहरचन्द के हक हिस्से व कब्जा काश्त मिलान क्षेत्रफल सही कायम नहीं किया गया। सैटलमेंट विभाग द्वारा गत खसरा नं. 105 जो नामांतकरण संख्या 57 दिनांक 03.01.1997 में रामकुमार के अकेले के हक हिस्से में आया हुआ था उसको मेहरचंद के हिस्से के गत खसरा नं. 99/1/1 व रामकुमार के गत खसरा नं. 99/1/2 के साथ संयुक्त कर वर्तमान खसरा नम्बर 47, 49. 51, 52, 53, 47/263 कायम किये गये जबकि गत खसरा नं 105 से अकेले रामकुमार के हक में मुताबिक कब्जा मिलान क्षेत्रफल के जरिए नये खसरा कायम करने चाहिए थे। इस प्रकार दौराने सैटलमेंट गत खसरा नम्बर से बने मिलान क्षेत्रफल के वर्तमान खसरा नम्बर गलत कायम हुए व उक्तानुसार ही वर्तमान में गलत मिलान क्षेत्रफल के खसरा नम्बर के अनुसार रामकुमार व मेहरचंद के उत्तराधिकारियों का राजस्व रिकार्ड में खसरों नं. 49 रकबा 0.85 हेक्टयर, खसरा नं. 52 रकबा 3.24 हेक्टयर कुल क्षेत्रफल 4.09 हेक्टर का राजस्व रिकार्ड वादी संख्या 6 व 7 के नाम गलत दर्ज है जबकि उक्त खसरा नं. 49 रकबा 0.85 हेक्टर व 52 रकबा 3.24 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 4.09 हैक्टर सैटलमेंट के पूर्व से वादीगण लगायत 5 के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है। वर्तमान में वादीगण स 1 लगायत 5 का कब्जा काश्त है।

हाल खसरा नं 353/49 क्षेत्रफल 0.1790 हेक्टयर, खसरा नं. 352/49 क्षेत्रफल 0.478 हेक्टयर, खसरा नं. 63/274 क्षेत्रफल 0.25 हेक्टयर, खसरा नं. 356/49 रकबा 3.08 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड वादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज है जबकि उक्त खसरा नम्बर 353/49 रकबा 0.1790 हैक्टर, खसरा नं. 352/49 रकबा 0.0478 हैक्टर, व खसरा नं. 63/274 रकबा 0.25 हैक्टर की सम्पूर्ण भूमि व 356/49 रकबा 3.08 हैक्टर भूमि में से दक्षिणी दिशा में 1.60 हैक्टर भूमि कुल क्षेत्रफल 2.50 हेक्टयर भूमि पर सैटलमेंट के पूर्व से वादीगण 6 लगायत 7 के पूर्वजो का कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार सैटलमेंट के बाद वादीगण की वाद पत्र में वर्णित भूमियों का राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज चला आ रहा है। सैटलमेंट विभाग द्वारा दौराने सैटलमेंट पुराने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर व मुताबिक कब्जा काश्त मिलान क्षेत्रफल गत खसरा नम्बर से सही कायम नहीं होने से वाद पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित 49, 52, 353/49, 352/49, 63/274 व खसरा नम्बर 356/49 का समस्त राजस्व रिकार्ड के कुछ खसरा नम्बर का गत राजस्व रिकॉर्ड व मुताबिक कब्जा काश्त मिलान क्षेत्रफल सही दर्ज नहीं हुआ। वादीगण सैटलमेट विभाग द्वारा, तैयार किये गये गलत मिलान क्षेत्रफल से बने गलत राजश्व रिकार्ड को दुरुस्त करवाने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण रामकुमार व मेहरचंद के आपस में हुए बाहमी विभाजन के अनुसार मौके पर निम्नानुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। रामकुमार के हिस्से की भूमि का कब्जा व काश्त हाल खसरा नम्बर 47 क्षेत्रफल 8.34 हैक्टर, हाल खसरा नम्बर 47/276 क्षेत्रफल 0.01 हैक्टर, हाल खसरा नम्बर 355/49 क्षेत्रफल 4.09 हैक्टर, हाल खसरा नं. 356/49 क्षेत्रफल 3.08 हेक्टर में से 1.48 हैक्टर, वर्तमान खसरा नम्बर 351/49 क्षेत्रफल 0.0032 हैक्टर, खसरा नम्बर 354/49 क्षेत्रफल 0.1 हैक्टर, हाल खसरा नं. 52 क्षेत्रफल 3.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 49 क्षेत्रफल 0.85 हैक्टर कुल खसरे 8 कुल क्षेत्रफल 18:01 हेक्टयर पर है।

मेहरचंद के हिस्से की भूमि व काश्त कब्जा की भूमि हाल खसरा नम्बर 357/49 क्षेत्रफल 0.0608 हैक्टर, खसरा नम्बर 358/49 क्षेत्रफल 0. 54 हेक्टर, खसरा नम्बर 359/49 क्षेत्रफल 2.1592 हैक्टर, खसरा नम्बर 63 क्षेत्रफल 6.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 356/49 क्षेत्रफल 1.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 353/49 क्षेत्रफल 0. 1790 हैक्टर, खस्रा नम्बर 63/274 क्षेत्रफल 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 352/49 क्षेत्रफल 0.478 हैक्टर, खसरा न. 316/52 क्षेत्रफल 0.26 हेक्टर, खसरा नं. 362/350 क्षेत्रफल 0.0020 हैक्टर, खसरा नं. 363/350 क्षेत्रफल 0.8180 हैक्टर, खसरा नं. 360/349 क्षेत्रफल 0.0156 हैक्टर, खसरा नं 361/349 क्षेत्रफल 1.0644 हैक्टर व हाल खसरा नं. 53, 54, 55, 56 में से 179 हेक्टर भूमि कुल क्षेत्रफल 15.81 हैक्टर रहा है।

वाद पत्र में वर्णित भूमि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी भूमि है जो वादीगण के पूर्वज दयालनाथ पुत्र ऊमनाथ के दोनों पुत्र रामकुमार व मेहरचंद की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी में रही है जिसका द्वितीय सैटलमेंट में गलत राजस्व रिकार्ड कायम हुआ है। वादीगण 1 लगायत 5 व वादीगण 6 व 7 बाहमी विभाजन के मुताबिक काबिज काश्त है व उक्तानुसार ही वाद पत्र की मद संख्या 8 में वर्णित हक हिस्से के अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा व विभाजन करवाने के कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 स्व. रामकुमार की पुत्री संतान है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 स्व. रामकुमार की पुत्री संतान मृतक शुभा देवी के पत्र संतान होने से शुभा देवी के वारिसान है। स्व. रामकुमार की अन्य पुत्रीयों व स्व. रामकुमार की मृतक

उपखण्ड अधिकारी
चूरू (राज.)

पुत्री शुभा देवी की पुत्रीयों संतानो ने वाद पत्र में वर्णित भूमि में वादीगण 1 लगायत 5 के हक में दिनांक 17.05.2023 को हकत्याग किया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 द्वारा भी मौखिक रूप से हकत्याग किया जा चुका है लेकिन मुख्यालय में उपस्थित नहीं होने से पंजीकृत हकत्याग के अभाव में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार होने से प्रतिवादीगण 1, 2 व 3 को आवश्यक पक्षकार हो बतौर प्रर्फोमा प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वादीगण की वाद पत्र में वर्णित भूमि प्रतिवादी 4 लगायत 6 बैंको के रहन दर्ज होने से व वर्तमान वाद पत्र में विभाजन व घोषणा का अनुतोष होने से प्रतिवादी सं. 7 भूमि अधिकारी आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी 4 लगायत 7 को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

उपर्युक्तानुसार दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस जबाबदेही हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से एडवोकेट धर्मवीर मीणा ने वकालतनामा मय ईकबालिया जबाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। राजस्व रिकॉर्ड व मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार झुंझुनूं से ली गई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक राजस्व/2024/79 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा न्यायालय में पेश की गई। वादी की ओर से एडवोकेट श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से एडवोकेट धर्मवीर मीणा उपस्थित आये। वकील पक्षकारान को बहस पत्रावली पर सुना गया। दौराने बहस अधिवक्तागण ने मुताबिक वाद पत्र व मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार वाद डिक्री जारी करने में सहमति जाहिर की। अधिवक्तागण को सुना जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, राजस्व रिकॉर्ड व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों, वादी मोतीलाल के चीफ शपथ पत्र व प्रतिवादीगण के ईकबालिया जबाब से भी वाद वादी साबित होता है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वकील वादीगण वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित प्रतीत होता है।

—: निर्णय :—

वाद वादीगण अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम खाजपुर का बास, पटवार हल्का खाजपुर नया, तहसील– झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू की सीमा में अवस्थित भूमि खसरा नं. 49, 52, 202, 351/49, 354/49, 355/49, 46, 47, 47/276, 356/49, 352/49, 353/49, 63/274 कृषि भूमि का मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार वाद डिक्री किया जाता है। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/79 दिनांक 14.02.2024 द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का भाग रहेगी। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

30/12/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner